प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 173/2018(2018/00334)

रसाली उम्र 42 साल पत्नि गोपाल जाति कुमावत निवारी ग्राम पीपजाल तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर
2. रामनाथ पुत्र नानूराम जाति मीणा निवासी ग्राम आलोली तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 23.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मेंहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी मूलतः ग्राम मेहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर का निवासी है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम मेहरूकंला** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
790–744	1678	0.08	बारानी 2
	1679	0.90	बरानी 2
	1680	0.12	बारानी 2
	1689	0.03	बीड
	कुल किता 4	कुंल रकबा 1.13 है.	

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थीया ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व, उपयोग,उपभोग में है। प्रार्थीया ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थीया आज से छह महिने पहले भी अप्रार्थीगण संख्या 1 को अपनी खातेदारी की आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु अप्रार्थी को अवगत कराया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे सीमाज्ञान सीमाचिन्ह स्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र [illegible] आवश्यक हुआ । करीब 10 दिवस पहले प्रार्थीया फसल काश्त करने गई तब अप्रार्थी [illegible] 2 ने [illegible]से बाधा पहुंचाई प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 20.12.18 को [illegible] उत्पन्न हुआ ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जब अप्रार्थी स. 2 ने हाक जोक में बाधा पहुचाई व अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की मोके पर नापजोप कर स्थाई पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। अप्रार्थी स .1 एंव पेरोकार सरकार उपस्थित । पेरोकार सरकार द्वारा को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अप्रार्थी स. 2 रामनाथ बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा उसे व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामिल हो चुका है। अतः उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार को सुना गया । प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम मेहरूकला की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 790–744 खसरा नम्बर 1678, 1679, 1680, 1689 रकबा क्रमंशः 0.08, 0.90, 0.12, 0.03 कुल किता 4 कुल रकबा 1.13 है. की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को केम्प मेहरूकंला मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner